

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना



"फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ"

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु कृषकों के सहायतार्थ प्रश्नोत्तरी

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है ?

उत्तर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों से जुड़े हुए जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का माध्यम है। इससे किसानों को अचानक आए जोखिम या प्रतिकूल मौसम की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है।

प्रश्न: फसल बीमा कौन-कौन करवा सकता है ?

उत्तर: ऋणी एवं गैर ऋणी किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ऋणी किसानों एवं गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वेच्छिक है।

प्रश्न: फसल बीमा के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर क्या है ?

उत्तर: खरीफ मौसम के हेतु 2 प्रतिशत, रबी मौसम के हेतु 1.5 प्रतिशत, व्यावसायिक और कपास फसल के लिए बीमित राशि का 5 प्रतिशत निर्धारित है।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन-कौन से जोखिम शामिल नहीं हैं ?

उत्तर: योजना के अन्तर्गत युद्ध तथा नाभिकीय जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान, दुर्भावनापूर्ण क्षति तथा अन्य निवारण योग्य जोखिमों को (योजना से) बाहर रखा जाएगा।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा इकाई क्या है ?

उत्तर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा इकाई की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित ब्लॉक, ग्राम, पटवार हल्का अथवा अन्य अधिसूचित स्तर पर है।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन-कौन से जोखिम शामिल हैं ?

उत्तर: • मूल कवर: इस योजना के अंतर्गत मूल कवर खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक) को उपज के नुकसान के जोखिम को कवर करता है। यह व्यापक जोखिम बीमा क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के आधार पर न रोके जा सकने वाले जोखिमों जैसे सूखा, शुष्क काल, बाढ़, जलप्लावन, कीट का व्यापक प्रसार और रोगों के हमले, भूस्खलन, बिजली के कारण प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात के कारण उपज में हुए नुकसान को कवर करने के लिए प्रदान किया जाता है।

• अतिरिक्त (ऐड-ऑन) कवरेज: अनिवार्य बेसिक कवर के अलावा, राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (एसएलसीसीसीआई) के परामर्श से अपने राज्य में, विशिष्ट फसल क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर फसल के निम्नलिखित चरणों और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जोखिमों के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या सभी अतिरिक्त (ऐड-ऑन) कवर का चयन कर सकती हैं।

• असफल बुवाई/रोपण अंकुरण के जोखिम: बीमित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम/मौसमी परिस्थितियों के कारण बुवाई/रोपण/अंकुरण नहीं हो पाता है।

• मध्य-मौसम प्रतिकूलता: फसल मौसम के दौरान प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों जैसे बाढ़, लंबे समय तक सूखा और भीषण सूखा आदि के मामले में नुकसान जिसमें मौसम के दौरान अपेक्षित उपज सामान्य उपज से 50% कम होने की संभावना है। यह अतिरिक्त (ऐड-ऑन) कवरेज बीमित किसानों को ऐसे जोखिमों की स्थिति में तत्काल राहत देने के प्रावधान की सुविधा प्रदान करता है।

• फसल कटाई पश्चात् नुकसान: यह कवरेज उन फसलों, जिन्हें उस क्षेत्र में फसलों की आवश्यकता के आधार पर फसल कटाई के बाद खेत में फैलाने छोटे बंडल बना कर सूखाने की आवश्यकता है, के लिए ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के विशेष खतरों के विरुद्ध केवल फसल कटाई से अधिकतम दो सप्ताह की अवधि तक उपलब्ध है।

• स्थानीयकृत आपदाएं: अधिसूचित क्षेत्रों के अलग-अलग खेतों को प्रभावित करने वाले ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटने तथा बिजली के कारण प्राकृतिक आग के चिन्हित स्थानीय जोखिमों की वजह से अधिसूचित बीमित फसलों को होने वाले नुकसान/क्षति को शामिल किया गया है।

*उपरोक्त जोखिम भारत सरकार की परिचालन दिशा-निर्देशिका एवं संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित राज्य, जिला एवं मौसम के आधार पर लागू होंगे।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए बीमित राशि क्या होगी ?

उत्तर: ऋणी एवं गैर-ऋणी दोनों तरह के किसानों के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर होगी और जिला स्तर तकनीकी समिति द्वारा तय किए गए वित्तीय पैमाने के समान होगी।

प्रश्न: इस योजना के तहत गैर-ऋणी किसान बीमा कैसे ले सकते हैं ?

उत्तर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान निकटतम बैंक शाखा/सहकारी समिति/अधिकृत चैनल पार्टनर/जन सेवा केंद्र (सी.एस.सी) / भारतीय डाक/बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं या निर्धारित तिथि के अंतर्गत स्वयं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल -<https://www.pmfby.gov.in> पर ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं।

प्रश्न: गैर ऋणी किसानों द्वारा फसल बीमा लेने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य है ?

उत्तर: गैर ऋणी किसानों को अधिसूचना अनुसार भू-अभिलेख, आधार कार्ड, बोर्डेड फसल का प्रमाण पत्र (कृषि या राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा जारी), मालिक से घोषणा पत्र/अनुबंध (पट्टे की भूमि के मामले में), बैंक पास बुक कॉपी जमा कराना अनिवार्य होगा।

प्रश्न: स्थानीय आपदाओं से फसल में नुकसान होने पर सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर: प्रभावित बीमित कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे 14447 कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन पर अथवा लिखित में अपने बैंक/ कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करवाना आवश्यक है। यदि 72 घण्टे में कृषक द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो वह कृषक 7 दिवस में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र में संबंधित बीमा कंपनी को देना आवश्यक होगा, जिसमें किसान का नाम, मोबाईल नं., अधिसूचित ब्लॉक, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आपदा का प्रकार, प्रभावित फसल आदि की सूचना अंकित होनी चाहिए।

ऋणी एवं गैरऋणी किसानों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि

31 जुलाई | 31 दिसंबर

स्थानीय आपदाओं से हुई फसल
नुकसान की सूचना अथवा दावे की
जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया
अपने एंड्रॉयड फोन के माध्यम
से  द्वारा **Crop Insurance**
एप्लीकेशन डाउनलोड करें।



फसल बीमा हेतु अथवा योजना की अधिक जानकारी के लिए



बैंक शाखा



GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED



www.pmfby.gov.in



सहकारी समिति



कृषि विभाग



भारतीय डाक

14447

कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन



PMFBY व्हाट्सएप चैटबॉट
7065514447



PMFBY व्हाट्सएप चैटबॉट
7065514447



व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ें



IndusInd
GENERAL INSURANCE

FORMERLY RELIANCE GENERAL INSURANCE

indusindinsurance.com

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 छूट का निषेध

01. कोई भी व्यक्ति, भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में बीमा लेने, उसका नवीनीकरण करने या उसे जारी रखने के लिए किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के रूप में, देय कमीशन के पूरे या हिस्से पर कोई छूट या पॉलिसी पर दिखाए गए प्रीमियम पर कोई छूट नहीं देगा या देने की पेशकश नहीं करेगा, और न ही पॉलिसी लेने, उसका नवीनीकरण करने या उसे जारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसी छूट को छोड़कर, जो बीमाकर्ता के प्रकाशित विवरण-पत्रों या तालिकाओं के अनुसार दी जा सकती है, कोई छूट स्वीकार करेगा; परन्तु यह कि किसी बीमा अभिकर्ता द्वारा स्वयं अपने जीवन पर ली गई जीवन बीमा पालिसी के संबंध में कमीशन की स्वीकृति को इस उपधारा के अर्थ में प्रीमियम में छूट की स्वीकृति नहीं माना जाएगा, यदि ऐसी स्वीकृति के समय बीमा अभिकर्ता यह स्थापित करने वाली विहित शर्तों को पूरा करता है कि वह बीमाकर्ता द्वारा नियोजित वास्तविक बीमा अभिकर्ता है। 02. इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में चूक करने वाले किसी भी व्यक्ति को दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी एवं कवरेज हेतु कृपया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किये गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की परिचालन दिशा-निर्देशिका 2023 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें। आईआरडीएआई पंजीकरण नं 103। इंडसइंड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में रिलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय : छठी मंज़िल, ओबेरॉय कॉमर्स, इंटरनैशनल बिजनेस पार्क, ओबेरॉय गार्डन सिटी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई - 400 063 । कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्रमांक : U66603MH2000PLC128300, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यू. आई. क्रमांक : IRDAN103P0001V01201617।

follow us

